अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 रिविजन सं0 09/11-12

जगरनाथ सिंह.....आवेदक

बनाम

भगवतीया देवी.....विपक्षी

।।आदेश।।

06-09-2017

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 09/11-12 जगरनाथ सिंह बनाम भगवतीया देवी सा0 चरकापाथर अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकरी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 92/95-96 में पारित आदेश दिनांक 22.09.01 के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में दायर किया गया था जिसका वाद सं0 रे0मि0रिविजन 55/08-09 था। इस वाद को निष्पादनार्थ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरण किया गया एवं इसे रे0मि0रिविजन 09/11-12 के रूप में पंजीकृत किया गया।

विपक्षी द्वारा दिनांक 16.08.17 को आवेदन दाखिल कर सूचित किया गया है कि इस मामले से संबंधित विवाद का निर्णय विज्ञ उपायुक्त के रे0मि0 रिविजन वाद सं0 23/03-04 में आदेश पारित किया जा चुका है। उनके द्वारा विज्ञ उपायुक्त दुमका के रे0मि0 रिविजन सं0 23/03-04 में पारित आदेश दिनांक 17.03.15 की सच्ची प्रति की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के रे0मि0 वाद सं0 92/95-96 में पारित आदेश दिनांक 22.09.01 के विरूद्ध में विज्ञ उपायुक्त दुमका के न्यायालय में आर0एम0आर0 23/03-04 एवं आर0एम0आर0 55/08-09 दायर किया गया, जिसमें आर0एम0आर0 55/08-09 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादनार्थ हस्तान्तरित किया गया जो, रे0मि0 रिविजन 09/11-12 के रूप में पंजीकृत किया गया है। विज्ञ उपायुक्त, के न्यायालय में दायर रे0मि0रिविजन सं0 23/03-04 में अंतिम आदेश दिनांक 17.03.15 को पारित किया जा चुका है। चूँकि दोनो मामला अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 92/95-96 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2001 के विरूद्ध दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः इस वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

06/9/17

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।